तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :— 120/2022 उमराव बनाम गुगनराम वगै0 आवेदन पत्र अ0 धा0 251 ए रा0का0अ0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/9/23	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार है कि राजस्व ग्राम गिडानिया तहसील चिड़ावा में हाल भूमि खसरा नं. 478 स्थित है जो मौखिक रूप से आवेदक के हक हिस्से में आई है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस भूमि से सटकर भूमि खसरा नं. 436 व 437 अवस्थित है जो अप्रार्थीगण की काबिज काश्त की भूमि है। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन के लिए इन्ही खसरा नं. की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे कदीमी रास्ता रहा है। आवेदक ने जब अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने हेतु कहा गया तो उन्होने मना कर दिया। तब जाकर प्रार्थी को यह आवेदन करना पड़ा। उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होन पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जबाब पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात दिनांक 7.06.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने पत्रावली में आदेश पारित कर खसरा नं. 436 व 437 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता कायम कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील करने पर माननीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 20.02.2020 बउनवान गुगनराम बनाव उमराव में उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के आदेश दिनांक 07.06 2017 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को प्रेषित कर दी गई। इसके उपरान्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के पत्र क्रमांक रीडर/22/514—15 दिनांक 30.06.2022 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। प्रकरण में न्यायालय द्वारा तहसीलदार चिड़ावा से रिपोर्ट ली गई। दिनांक 21.08.2023 को आवेदक व अनावेदक 2 मय वकील तथा अनावेक संख्या 1/1, 3, 4, 5, 6/1 से 6/4, 7, 8 की ओर से जरिये वकील उपस्थित होकर न्यायालय हाजा में राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना से राजीनामा हो चुका है तथा प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डी एल सी राशि की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण ने प्राप्त कर ली है। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया तथा पत्रावली वास्ते उचित आदेश में रखी गई। आज राष्ट्रीय लोक अदालत में वकील पक्षकारान को राजीनामा के आधार पर बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना से राजीनामा हो चुका है, जो दिनांक 21.08.2023 को पत्रावली में पेश किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने पर उभय पक्षकारान को कोई आपत्ती नहीं है। बाद अवलोकन पत्रावली पर पर उपलब्ध दस्तावेज व बगौर मनन बहस वकील पक्षकारान व लोक अदालत की पवित्र गरिमा के मध्यनजर राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजाः— —: आदेश :— राजस्व ग्राम गिडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं के हाल के भूमि खसरा नं. 478 में आवागमन के लिए भूमि खसरा नं. 436 व 437 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे मुताबिक रिपोर्ट तहसीदार दिनांक 20.10.2022 व मुताबिक राजीनामा दिनांक 21.08.2023 के 3 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/2048 दिनांक 20.10.2022 व राजीनामा दिनांकित 21 08.2023 आदेश का भाग रहेंगे। तदनुसार तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (अनिता ...) उपखण्ड अधिकारी ... झुंझुनूं	

Scanned with OKEN Scanner